Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education

Vol. VII, Issue No. XIII, January-2014, ISSN 2230-7540

दरभंगा जिले के ग्रामीण विकास में महिला प्रतिनिधियों की भूमिका

AN INTERNATIONALLY INDEXED PEER REVIEWED & REFEREED JOURNAL

www.ignited.in

Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. VII, Issue No. XIII, January-2014, ISSN 2230-7540

दरभंगा जिले के ग्रामीण विकास में महिला प्रतिनिधियों की भूमिका

Ravindra Kumar Sharma*

Research Scholar, Department of Political Science, Lalit Narayan Mithila University, Kameshwaranagar, Darbhanga, Bihar

सार – ***दरभंगा जिला के ग्रामीण विकास में महिला पंचायत प्रतिनिधियों की भूमिका स्वशासन की स्वतंत्र इकाई बनाने का प्रयास किया गया हैं इस व्यवस्था के माध्यम से इन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है तथा समाज के सभी वर्गों को समुचित प्रतिनिधित्व भी प्रदान किया गया है। जिसका उद्येश्य सम्पूर्ण व्यवस्था का विकेन्द्रीकरण करना है, चूंकि पंचायती राज लोकतन्त्र की प्रथम पाठशाला है। लोकतंत्र मूलतः विकेन्द्रीकरण पर आधारित शासन व्यवस्था होती है। शासन की ऊपरी सतहों पर (केन्द्र तथा राज्य) कोई भी लोकतंत्र तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि निचले स्तर पर लोकतांत्रिक मान्यताएँ एवं मूल्य शक्तिशाली नहीं हो। लोकतंत्रीय राजनीतिक व्यवस्था में पंचायती राज ही वह माध्यम जो सरकार को सामान्यजन के दरवाजे तक लाता हैं। लोकतंत्र के उन्नयन में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज की विशेष भूमिका रही है। पंचायती राज संस्थाएँ स्थानीय जन सामान्य को शासन कार्य में भागीदार एवं हिस्सेदार बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है और इसी भागीदारिता की प्रक्रिया के माध्यम से लोगों को प्रत्यक्षतः व परोक्ष रूप से शासन व प्रशासन का प्रशिक्षण स्वतः ही प्राप्त होता है। स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण प्राप्त कर ये स्थानीय जनप्रतिनिधि ही कालान्तर में राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की व्यवस्थापिका सभाओं में प्रतिनिधित्व कर राष्ट्र को नेतृत्व प्रदान करते हैं। पंचायती राज संस्थाएँ राष्ट्र को नेतृत्व उपलब्ध कराने में भी महति भूमिका निभाती है।[1]***

----------X----------

नवीन पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से पंचायत राज संस्थाओं में स्थानीय स्तर पर महत्वपूर्ण कार्यों का निष्पादन स्थानीय स्तर पर किया जाता है। ग्राम सभा पंचायत राज व्यवस्था की सबसे छोटी परन्तु सर्वाधिक महत्वपूर्ण इकाई है। नियमानुसार ग्राम सभा की बैठक उस गाँव में होती है। जहाँ ग्राम पंचायत का मुख्यालय है। बिहार में ग्राम सभा की बैठक नियमित अन्तराल एक ही दिन सभी ग्राम सभाओं की बैठक हाने से निरीक्षण की समस्या होती थी। ग्राम पंचायत के मतदाता सूची में पंजीकृत सभी वयस्क मतदाता ग्राम-सभा के सदस्य होते हैं। ग्राम सभा की बैठक की तारीख समय का नोटिस तथा उस सभा में भाग लेने वाले तथा अन्य सूचनाओं का विवरण सभा तिथि के दिन कम-से-कम 15 दिन पूर्व पंचायत सर्किल के प्रत्येक गाँव एक या अधिक सार्वजनिक स्थानों पर लगातार या व्यापक प्रचार-प्रसार कर घोषणा की जाये। इसके अलावा राज्य सरकार भी ग्राम सभाओं की तिथि, समय एवं विचारणीय मुद्दा का व्यापक प्रचार-पसार, समाचार-पत्र, रहिया एवं दूरदर्शन के माध्यम से करती है। वर्तमान राज्य सरकार ने एक कदम आगे बढ़कर ग्राम सभाओं के सामाजिक अंकेक्षण की जिम्मेदारी विद्यालय एवं महाविद्यालय स्तर पर कार्यरत राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाइयों को दी है ताकि कार्यक्रम अधिकारी एवं स्वयं सेवक किसी ग्राम सभा में शामिल होकर ग्राम सभा की कार्यवाही का अवलोकन कर सके एवं कमियों तथा सुझावों से राज्य सरकार को अवगत कराया जा सके।

ग्राम सभा के समान ही ग्राम पंचायत की प्रत्येक पखवाड़े में आयोजित होने वाली दायित्व का निवर्हन करता है। इस प्रकार पंचायत की प्रत्येक बैठक में सरपंच उपस्थित रहना जरूरी है। ग्राम पंचायत की प्रत्येक बैठक की गणपूर्ति सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई से होगी। यदि बैठक के लिए नियम समय पर गणपूर्ति नहीं हुई हो तो अध्यक्ष तीस मिनट तक इंतजार करके बैठक अगले तिथि तक स्थगित करेंगे।

ग्राम पंचायती राज की वह आधारशिला है जिस पर पंचायती राज संस्थाओं के अन्य स्तरों का ढाँचा आधारित है। ग्राम पंचायतों की कार्यकुशलता का पंचायती राज की संस्थाओ से महत्वपूर्ण सम्बंध हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने की सीधी जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों की है। ग्राम पंचायत में स्वशासन से

www.ignited.in

जुड़े समस्त महत्वपूर्ण कार्य सम्पादित होते हैं। ग्राम पंचायत का ऐसी निर्वाचित इकाई है जो ग्राम सभा की कार्यकारी समिति होती है। ऐसी स्थिति में सरपंच की ग्राम पंचायत के प्रमुख के नाते केन्द्रीय एवं महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बिहार सरकार ने ग्राम पंचायतों को स्थानीय स्वशासन की स्वतंत्र एवं शक्तिशाली इकाईयों बनाने के उद्देश्य से अनेक साधारण एवं प्रशासनिक कार्य, शक्तियों एवं अधिकार प्रदान किये हैं।[2] बिहार पंचायती राज नियम, 1996 के अनुसार वर्ष में 24 बार ग्राम पंचायतो की बैठक आवश्यक है अर्थात ग्राम पंचायतों की प्रत्येक पखवाड़े में कम से कम एक बैठक आवश्यक है। यदि सरपंच चाहे या कोई महत्वपूर्ण मुद्दा उपस्थित हो जाए तो लघु नोटिस द्वारा विशेष बैठक बुला सकेगा। इस प्रकार की बैठक की सूचना ग्राम पंचायत के प्रत्येक सदस्य को दी जायेगी तथा बैठक के नोटिस की एक प्रति ग्राम पंचायत कार्यालय के सूचना-पट्ट पर भी चस्पा की जायेगी। बैठकों की अध्यक्षता करना सरपंच का दायित्व है गाँव की प्रमुख समस्याएँ: लोकतन्त्र के उन्नयन में ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज की सार्थक भूमिका रही है। भारत गाँव का देश है और यहाँ की लगभग 75 प्रतिशत जनसंख्या गाँवों में निवास करती है। अतः देश की प्रगति व सुख समृद्धि इसके गाँवों तथा ग्रामीण जनसंख्या की उन्नति पर निर्भर करती है। गाँवों में रहने वाली कुल आबादी का काफी बड़ा भाग गरीबी की रेखा (बी0 पी0 एल0) के नीचे जीवन व्यतीत कर रहा है। इतनी बड़ी आबादी के लिए पीने का पानी, मकान, शिक्षा, चिकित्सा सुविधाएँ, आवागमन और संचार साधनों की व्यवस्था करना बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य है। ग्रामीण क्षेत्रों में नियोजन का जो स्वरूप अपनाया जा रहा है, वह क्षेत्रीय, भौगोलिक एवं परिस्थितिकीय दृष्टिकोण से सही नहीं है। ग्रमाीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर न्यून होने के कारण किसी भी ग्रामीण विकास कार्यक्रम में अपनी सहभागिता देने में असमर्थ है। ग्रामीण रोजगार की समस्या भारतीय ग्रामीण विकास में रूकावट बनी हुई है।[3] विकास की इस व्यापक अवधारण में स्वतंत्रता के पश्चात् से ही विविध योजनाओं के माध्यम से प्रयास किये जाते रहें हैं, लेकिन यथेष्ट परिणामों का अभाव ही रहा है।

कल्याणकारी योजनाः

सामाजिक न्याय एवं आर्थिक विकास की परिप्रेक्ष्य में भारत में क्षेत्रीय एवं जातिगत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का स्वतंत्रता के पश्चात् समाज से ही किया गया है। इन कल्याणकारी योजनओं का मूल उद्देश्य शोषित एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी जातियों/वर्गों को समाज की मुख्यधारा में केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्मित इन कल्याणकारी योजानाओं को ग्राम स्तर पर विभिन्न खण्डों के माध्यम से सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। 73वें संविधान संशोधन के आधार पर निर्मित नवीन पंचायती राज व्यवस्था में प्रदेश में ऐसी योजनाओं के लिए लाभार्थियों के चयन का अधिकार ग्राम सभाओं एवं इसके माध्यम से ग्राम पंचायतों को सुपूर्द किया गया है।[4] ग्राम सभाओं की बैठकों में यह तय किया जाता है कि कौनसी योजना का लाभ किस-किस को प्रदान किया जाये। सारणी में विविध योजनाओं के लिए लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया को दर्शाया गया है।

ग्राम पंचायत द्वारा किये गये कार्य

क्र0 सं0	ग्राम पंचायत ने कौन–कौन से कार्य किये	आवृति	प्रतिशत
1	सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना	25	78.12
2	इन्दिरा आवास योजना का लाभ	20	62.50
3	हैण्डपम्प/पेयजल व्यवस्था	10	31.25
4	खरंजा निर्माण/नाली निर्माण	15	46.98
5	पाठशाला भवन/कमरा निर्माण	10	31.25
6	अस्पताल खुलवाने के प्रयास	03	09.37
7	विद्यालय खुलवाने/क्रमोन्त कराने के प्रयास	08	25.00
8	पी0 सी0 सी0 रोड/ग्रेवल रोड का निर्माण	24	75.00
9	सामुदायिक भवनों का निर्माण	10	31.25
10	ग्रामीण क्षेत्र निर्माण	08	25.00
11	विद्युतीकरण	12	37.50
12	विकास योजना कार्य हेतु।	05	15.62

ग्राम पंचायत द्वारा किये गये कार्यः ग्रामीण विकास एक बहुआयामी गतिविधि है। इसी आधार पर ग्राम पंचायतों के कार्य भी विविधतापूर्ण है। बिहार पंचायती राज कानून, के अनुसार, "ऐसी शर्तों के अधीन रहते हैं, जो सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जायें, ग्राम पंचायत प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट कार्यों का निर्वहन और शक्तियों का प्रयोग करेंगी। "इस प्रकार ग्राम पंचायतों को इस अधिनियम की प्रथम अनुसूची में उल्लेखनीय कार्यों एवं शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत किया गया है। इस अनुरूपी में 33 बिन्दुओं को दर्शाया गया है जिनमें मुख्यरूप से कृषि, पशुपालन, डेयरी मुर्गीपालन, मत्स्यपालन, वन, लघु सिंचाई, खादी ग्रामोद्योग, पेयजल, साक्षरता, ग्रामीण विद्युतिकरण, मेले, महिला व बाल विकास आदि विषय है। इसी प्रकार इस अधिनियम द्वारा तीनों स्तरों की पंचायत राज संस्थाओं के कार्यों का स्पष्ट विभाजन करते हुए सूचीबद्ध किया गया है। वस्तुतः ग्राम पंचायतों के लिए उल्लेखित कार्यों की प्रकृति को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह समग्र ग्रामीण विकास की अवधारणा पर आधारित है।[5]

सारणी में दरभंगा जिले में महिला नेतृत्व वाली ग्राम पंचायत में कराए गए कार्यों को उल्लेख किया गया है यहां उत्तरदायियों द्वारा उल्लेखित कार्यों को उसी रूप में प्रदर्शित किया गया है। सामान्य स्तर पर ग्राम पंचायत द्वारा अधिकांश कार्य अकाल राहत योजना, उत्तरदात्रियों में से अधिकतर ने योजनाओं के स्थान पर वास्तविक रूप से कराये गये कार्य है कि ग्राम पंचायतों

के माध्यम से अधिकांशतया वही कार्य करवाये जा रहे है जिनके लिए केन्द्र अथवा राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त हो रहा है। साथ ही सड़क, पेयजल, शिक्षा जैसी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति प्राथमिकता के रूप में दिखाई देती है इस दृष्टि से महिला नेतृत्व के लिए गाँवों में अधोसंरचनात्मक विकास की व्यापक अवधारणा को भी ध्यान में रख के रोजगार योजना एवं सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत करवाए गए है। का ही उल्लेख किया है। इस सारणी में प्रदर्शित तथ्यों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि सर्वाधिक 78.12 प्रतिशत उत्तरदात्रियों ने सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस0 जी0 आर0 वाई0) के अन्तर्गत कराये गये कार्यों का उल्लेख किया है। यहाँ यह ज्ञातव्य है कि अब इस योजना का विलय 1 अप्रैल, 2008 से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) में कर दिया है। लगभग 25 प्रतिशत उत्तरदात्री ऐसी हैं जिन्होने अपने कार्यकाल में ग्राम पंचायत में विद्यालय खुलवाये। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि बिहार सरकार ने प्राथमिक शिक्षा को सर्वग्राही एवं सुलभ बनाने के उद्देश्य से ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की ओर से पाठशालाओं की स्थापना की थी। अब तक यह संख्या लगभग 15 हजार से अधिक हो चुकी है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने ग्राम पंचायतों से ही प्रस्ताव मंगवाकर उनकी आवश्यकतानुसार इन विद्यालयों की स्थापना की है। 75 प्रतिशम उत्तरदात्रियों ने ग्राम पंचायत क्षेत्र के आम रास्तों में पी0 सी0 सी0 रोड/ग्रेवल रोड का निर्माण कराया है। इसी प्रकार लगभग 31.25 प्रतिशत उत्तरदात्रियों ने क्रमशः सामुदायिक भवनों का निर्माण तथा शाला भवनों का निर्माण/ शाला में अतिरिक्त कमरा का निर्माण कराया है।[6] इसी प्रकार 25 प्रतिशत उत्तरदात्रियों ने ग्रामीण क्षेत्र निर्मित करवाने की बात की है। 37.50 प्रतिशत उत्तरदात्रियों ने ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य करवाया है। इन्दिरा आवास योजना का लाभ 62.50 प्रतिशत उत्तरदात्रियों ने दिलाया है। उल्लेखित कार्यों में अधिकांश कार्य जवाहर रोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना, अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत आते हैं।

अतः यह कहा जा सकता है कि महिला वर्ग उत्थान के लिए महिला नेतृत्व ने कल्याणकारी योजनाओं का लाभ इस वर्ग को दिलवाया है इससे स्पष्ट होता है कि महिला नेतृत्व महिला समूहों के हितों को ध्यान में रखता है। इससे पंचायत राज एवं शहरी निकायों में इन जातियों के लिए किये गए आरक्षण सम्बन्धी प्रावधानों की सार्थकता सिद्ध हो जाती है। यदि इसी प्रकार सम्पूर्ण प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर पर भी महिला नेतृत्व अपने स्वजन समूह के हितों के प्रति जागरूक रहे तो यह सामाजिक न्याय की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थों की सूचीः-

1. कोठारी, रजनीः पंचायती राज री असेसमेंट, इकॉनामिक एंड पॉलिटिकल वीकली, वॉ-13 मई, 1961 पृ0 58-61
2. मिश्रा, एस0 एन0: पंचायती राज प्रशासन का विकेन्द्रीकरण और 64वां संशोधन विधेयक, रोजगार समाचार, 26 जनवरी-1 फरवरी, 1991, पृ0-36-41
3. तथैव
4. कोठारी, रजनीः पॉलिटिक्स इन इंडिया, दिल्ली, ओरियेन्ट लांगमैन, 1856 पृ0 32
5. मिश्रा, एस0 एन0: पंचायती राजः प्रशासन का विकेन्द्रीकरण और 64वां संशोधन विधेयक, रोजगार समाचार, 26 जनवरी- 1 फरवरी, 1991, पृ0- 3
6. दरभंगा जिला एक दृष्टि में, जिला सांख्यिकी कार्यालय, दरभंगा द्वारा 2000 में जारी हैंडबिल।

Corresponding Author

Ravindra Kumar Sharma*

Research Scholar, Department of Political Science, Lalit Narayan Mithila University, Kameshwaranagar, Darbhanga, Bihar